दिनांक - 09.12.17

खण्डपीठ क0 22

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी मंशाराम एवं सीमा सहित अधिवक्ता श्री अशोक जादौन उप०।

फरियादी गिर्राज उप0। फरियादी की पहचान अधि0 श्री केशव सिंह गुर्जर द्वारा की गई।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा पर विचार किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294 एवं 323 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी गिर्राज ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी मंशाराम एवं सीमा को भा0द0सं0 की धारा 294 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 16.01.18 निरस्त की गई। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीट सदस्य. कृ.1–

耍.2-

सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०२२ गोहद जिला भिण्ड म०प्र०